# न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 71/2018 दायर दिनाँक 16.03.2018

| वादीगण | | प्रतिवादीगण |
| --- | --- | --- |
| 1. परसाराम पुत्र भागीरथराम उम्र 75 वर्ष जाति जाट निवासी डाबगांव<br>2. कमरूदीन पुत्र उमरखां उम्र 48 वर्ष जाति शेरानी<br>3. ईजाजखां पुत्र हासमखां उम्र 70 वर्ष जाति शैरानी समस्त निवासीगण शेरानी आबाद तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.। | बनाम् | 1. सहायक भू–प्रबन्धक अधिकारी डीडवाना वृत तृतीय मुकाम सीकर जिला सीकर राज0।<br>2. भू–प्रबन्धक अधिकारी सेंटलमेंट विभाग सीकर जिला सीकर राज0।<br>3. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0। |

**दावा बाबत्**
**घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.**

**उपस्थितः–**

1. श्री मो. शरीफ शैरानी वकील वादी।

**–:: निर्णय ::–**

दिनाँक 13.09.2021

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वाकै सरहद डाबगांव पटवार हल्का लोरोली कलां भू.अभि.नि.क्षैत्र केराप में स्थित खेत खसरा सं0 97 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा वादी सं0 01 परसाराम, खसरा सं0 98 रकबा 50 बीघा 14 बिस्वा, वादी सं0 02 कमरूदीन व वादी सं0 02 के भाई सदरूदीन तथा खसरा सं0 99 रकबा 09 बीघा 01 बिस्वा वादी सं0 03 व वादी सं0 03 के भाई स्व0 जमाल व स्व0 मुमताज की खातेदारी के अवस्थित है।

यह है कि प्रतिवादी सं0 01 व 02 तथा इनके कर्मचारियों अमीन ने उपरोक्त वर्णित वाकै सरहद डाबगांव में स्थित खसरा सं0 97 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा के दक्षिण सींव पर कटाणी रास्ता खसरा सं0 163 दर्शाते हुए, खसरा सं0 98 रकबा 50 बीघा 14 बिस्वा के दक्षिण सींव पर कटाणी रास्ता खसरा सं0 167 दर्शाते हुए तथा खेत खसरा सं0 99 रकबा 09 बीघा 01 बिस्वा के दक्षिण सींव पर कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 168 दर्शाते हुए इन वादीगणों के खेतों की भूमि को कम करते हुए रास्ते की भूमि का अंकन सैटलमेंट के पर्चा में दर्ज कर दिया गया है। वादीगणों के खेतों के दक्षिण और दर्शित किए गये कटाणी रास्ते को संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए से बी दर्शित किया गया है।

यह है कि संलग्न नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी रास्ता कभी भी मौके पर मौजुद नही रहा है और ना ही ऐसा कोई रास्ता मौके पर वर्तमान में मौजुद है तो इस बाबत वादीगण ने प्रतिवादी सं0 01 व 02 से सम्पर्क करके उक्त सैटलमेन्ट नक्शें में रास्ता बाबत दर्शायी गयी मार्क ए से बी त्रुटि को सुधार करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं0 01 व 02 ने आश्वासन दिया। परन्तु फिर भी उक्त सैटलमेन्ट नक्शे में वादीगण द्वारा [illegible] प्रतिवादी सं0 01 व 02 के पास चक्कर लगाने के बावजूद भी उक्त [illegible] कार्म ए से बी में कोई सुधार नही किया है इस कारण [illegible] विरूद्ध यह वाद–पत्र लाजमी होने से प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:42:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है –

यह है कि बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण वाकै सरहद डाबगांव में स्थित खेत खसरा सं0 97 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा के दक्षिण सींव पर कटाणी रास्ता, खसरा सं0 163 दर्शाते हुए, खसरा सं0 98 रकबा 50 बीघा 14 बिस्वा के दक्षिण सींव पर कटाणी रास्ता, खसरा सं0 167 दर्शाते हुए तथा खसरा सं0 99 रकबा 09 बीघा 01 बिस्वा के दक्षिण सींव पर कटाणी रास्ता खसरा सं0 168 दर्शाते हुए इन वादीगणों के खेतो की भूमि को कम करते हुए रास्ते की भूमि का अंकत सैटलमेन्ट के पर्चा में दर्ज किया है जिसको संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए से बी दर्शित किया गया को हटाये जाने की घोषणा की जाकर सेटलमेन्ट नक्शे में रेकर्ड दुरूस्ती सादर फरमावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। बावजुद तामिल प्रतिवादीगण अनुपस्थित। अतः प्रतिवादीण के खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

यह है कि मौजा वाकै सरहद डाबगांव के खेत खसरा सं0 97, 163, 98, 167, 99, 168 में तहसीलदार डीडवाना से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 1132 दिनांक 10.04.2019 के अनुसार उक्त खसरा नम्बरान् में मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नही चल रहा है तथा पूर्व के राजस्व रेकर्ड के अनुसार भी कोई रास्ता अंकन नही था। नजरी नक्शा में मार्क A से B रास्ता को हटाकर सेटलमेंट नक्शे में रेकर्ड दुरूस्त करना उचित प्रतित होता है।

रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्को पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है।

## आदेश

अतः हस्व दावा वाकै सरहद डाबगांव के खेत खसरा सं0 97, 163, 98, 167, 99, 168 में तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 1132 दिनांक 10. 04.2019 के अनुसार उक्त खसरा नम्बरान् में मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नही चल रहा है तथा पूर्व के राजस्व रेकर्ड के अनुसार भी कोई रास्ता अंकन नही था। नजरी नक्शा में मार्क A से B रास्ता को हटाकर सेटलमेंट नक्शे में रेकर्ड दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 13.09..2021 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:42:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **71/2018** दायर दिनाँक **16.03.2018**

| वादीगण | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. परसाराम पुत्र भागीरथराम उम्र 75 वर्ष जाति जाट निवासी डाबगांव<br>2. कमरूदीन पुत्र उमरखां उम्र 48 वर्ष जाति शेरानी<br>3. ईजाजखां पुत्र हासमखां उम्र 70 वर्ष जाति शैरानी समस्त निवासीगण शेरानी आबाद तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.। | **बनाम्** | 1. सहायक भू–प्रबन्धक अधिकारी डीडवाना वृत तृतीय मुकाम सीकर जिला सीकर राज0।<br>2. भू–प्रबन्धक अधिकारी सेंटलमेंट विभाग सीकर जिला सीकर राज0।<br>3. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0। |

**दावा बाबत्**
**घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं रेकर्ड दुरूस्ती**
**अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.**

दिनाँक **13.09.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो. शरीफ शैरानी वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा वाकै सरहद डाबगांव के खेत खसरा सं0 97, 163, 98, 167, 99, 168 में तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 1132 दिनांक 10.04.2019 के अनुसार उक्त खसरा नम्बरान् में मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नही चल रहा है तथा पूर्व के राजस्व रेकर्ड के अनुसार भी कोई रास्ता अंकन नही था। नजरी नक्शा में मार्क A से B रास्ता को हटाकर सेटलमेंट नक्शे में रेकर्ड दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **13.09.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बाबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | <br><br><br>–<br>– | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अर्जी<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बाबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन ... चाहे ... की के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:42:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner